

18-02-2022

व्यावली पेश हुई। व्यावली शेष पतिवर्षका  
की तलबी में लंबित है। आदेश दि. 11/10/2019  
एवं तदुपरोक्त एच. तलबी के आदेश क्रि. नं.  
04/01/2021 की पालना आश्रित तक पेश नहीं  
हुई है, जो कि न्यायालय आदेश की अवहेलना  
की श्रेणी में आता है। वहीना की ओर से स्वयं  
या वरिये वकील/एग्रेजिटेड कोर्ट न्यायालय में  
हाजिर नहीं है। आज न्यायालय में पृथक-पृथक  
समय पर तीन-तीन बार आदेश लगावकी शर्त,  
साथ 500 रु. तक कोर्ट हाजिर नहीं आते हैं।  
अतः व्यावली तलबी अभाव में एवं अदम  
हाजिरी व अदम फौज में अंतर्गत आदेश  
3 नियम 3 जा. क्र. तथा आदेश 9 नियम  
5 जा. क्र. के तहत एच. द्वारा कार्रवाई की जाती  
है। निर्णय सुनने न्यायालय में प्रेषित जाकर,  
लिखित जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा  
से जारी किया जाता है।

सहायक कलक्टर  
सांभर लेक

